न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 72/2021
नये दर्ज नंबर 171/23

GCMS No.—2021/123

1. प्रहलाद नारायण गुप्ता पुत्र श्री रूपनारायण गुप्ता जाति महाजन, आयु 75 वर्ष निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. जगदीश नारायण गुप्ता पुत्र श्री रूपनारायण गुप्ता जाति महाजन, आयु 72 वर्ष निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. कैलाशनारायण गुप्ता पुत्र श्री रूपनारायण गुप्ता जाति महाजन, आयु 64 वर्ष निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. महेश कुमार गुप्ता दत्तक पुत्र श्री गोविन्द नारायण जाति महाजन निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. देवीनारायण पुत्र बद्रीनारायण जाति महाजन, निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. मोहनलाल पुत्र रामनारायण जाति महाजन, निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. प्रेमप्रकाश पुत्र रामनारायण जाति महाजन, निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. रामजीलाल पुत्र रामनारायण जाति महाजन, निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर। (मृतक दौराने अपील)

5/1. मधु देवी पत्नी स्व. श्री ओमप्रकाश
5/2. कृष्णा पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश
5/3 खुशी पुत्री स्व. श्री ओमप्रकाश
5/4. दीपांशु पुत्री स्व. श्री ओमप्रकाश
समस्त निवासीयान ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1418 दिनांक 28.09.2021 तस्दीक दिनांक 01.10.2021

———————

उपस्थितः–
1. श्री नन्दसिंह राजावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री रामधन चौधरी रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 11.12.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 01.10.2021 जिससे नामान्तरकरण संख्या 1418 वाके ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ पक्षकारान के नाम से स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 08.12.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामधन चौधरी उपस्थित आये। रेस्पा0

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

संख्या 3 व 4 स्वयं उपस्थित। रेस्पा0 संख्या 5 के वारिसान 5/1 लगायत 5/4 को रजि0 नोटिस जारी किये गये किन्तु रेस्पा0 संख्या 5/1 लगायत 5/4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। रेस्पा0 संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील उभय पक्ष व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2021 विधि विधान एवं प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के सर्वथा प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित नामान्तकरण संख्या 1418 तस्दीक दिनांक 01.10.2021 प्रारंभ से बातिल व बेअसर है क्योंकि आक्षेपित नामान्तकरण मुताबिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.1999 की पालना में खोला जाकर तस्दीक किया गया है जबकि कानूनन डिक्री की पालना अधिकतम 12 वर्ष की अवधि में किया जाना आज्ञात्मक है, 12 वर्ष पश्चात निर्णय व डिक्री की पालना नहीं होने पर निर्णय व डिक्री शून्य हो जाते है। अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि जिस निर्णय व डिक्री की इजराय की जानी है उसमें भी अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट वादग्रस्त आराजी के हिस्सेदार रिकॉर्डेड खातेदार है जिनको सुनवाई का अवसर दिये बिना तस्दीक किया गया इसलिए नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी गौर नहीं किया कि रिकॉर्डेड खातेदार रूपनारायण का स्वर्गवास दिनांक 17.10.2001 को हो चुका है मृतक के नाम से खोला गया नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी दिनांक 31.10.2021 को अपीलांट को हुयी जिसकी नकल दिनांक 01.11.2021 को अपीलांट ने प्राप्त की है इस प्रकार अपील अन्दर मियाद है एवं पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से अपील में शामिल मिसल है। गलत आदेशों के विरूद्ध मियाद का बिन्दू भी लागू नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 1418 दिनांक 01.10.2021 वाके ग्राम नायला निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 136, **AIR 1923 Page 426, AIR 1954 359 Supreme court** पेश किये जो शामिल मिसल रहे।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पा0 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा खोला गया है। आदिनांक तक डिक्री आदेश प्रभावी है इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नियमानुसार ही तस्दीक किया गया है। अतः अपील प्रारम्भिक स्तर पर ही मेन्टेनेबल नहीं होने से खाजिर किये जाने योग्य है।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के डिक्री आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। न्यायहित में अपील अपीलांट अन्दर मियाद मानी जाती है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1418 पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक डिक्री आदेश के आधार पर दर्ज किया गया। जिसके पश्चात तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दिनांक 01.10.2021 को अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में विचाराधीन दावा संख्या 149/1997 बउनवानी रामनारायण बनाम गोविन्दनारायण में पारित निर्णय दिनांक 25.01.1999 की पालना में तस्दीक किया गया है। जिस संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 02/21 में डिक्री आदेश 25.01.1999 की पालना बाबत आदेश दिनांक 14.09.2021 पारित किया गया है। अपीलांट ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तोवज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जिससे ये जाहिर हो कि अपीलांट द्वारा डिक्री आदेश दिनांक 25.01.1999 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गयी हो। यदि अपीलांट डिक्री आदेश दिनांक 25.01.1999 से असंतुष्ट है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलांट ने डिक्री आदेश के करीब 20 वर्ष पश्चात नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का उज्र न्यायालय के समक्ष किया है किन्तु प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा निर्णित इजराय प्रार्थना पत्र 02/21 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2021 के आधार पर डिक्री आदेश की पालना में दिनांक 01.10.2021 को तस्दीक किया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है, अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा पारित डिक्री आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया एवं वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ का आदेश प्रभावी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर